राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.3(64)नविवि/3/2009–पार्ट 13 जयपुर, दिनांकः 14 OCT 2013

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर।

विषयः– मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 261/2013 की पालना में राजस्थान नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक, चेरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन नीति के अन्तर्गत रियायती आवासीय आरक्षित दर पर भूखण्ड आवंटन किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 04.10.2013 में क्रम संख्या 12 एवं 13 पर सहवन से आवंटन दर, आवासीय आरक्षित दर का 5 प्रतिशत टंकित हो गया हैं। जिसे "योजना की आवासीय आरक्षित दर का 25 प्रतिशत' पढ़ा एवं समझा जावें एवं अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपिः–

1. शासन उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को मंत्रिमण्डल की आज्ञा 261/2013 के संदर्भ में।
2. विशेषाधिकारी (एल), मुख्य मंत्री कार्यालय।
3. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.3(64)नविवि/3/2009–पार्ट 13 जयपुर, दिनांकः 4 OCT 2013

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, बीकानेर।

विषयः– मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 261/2013 की पालना में राजस्थान नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक, चेरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन नीति के अन्तर्गत रियायती आवासीय आरक्षित दर पर भूखण्ड आवंटन किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मंत्रिमण्डल की आज्ञा 261/2013 के अनुसरण में राजस्थान नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक, चेरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित भूमि आवासीय आरक्षित दर की 5 प्रतिशत दर पर आवंटित किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैः–

क.सं.	संस्था का नाम	वांछित भूमि एवं स्थान	आवंटन दर
1.	राजपुरोहित छात्रावास विकास समिति, जोधपुर	ग्राम सिरसी, तहसील जयपुर के खसरा नंबर 1770 एवं 1771 में से 2000 वर्गमीटर	आवासीय आरक्षित दर का 5 प्रतिशत
2.	राणा राजपूत समाज, जयपुर	ग्राम बढारणा, तहसील आमेर में 2000 वर्गमीटर	आवासीय आरक्षित दर का 5 प्रतिशत
3.	मुस्लिम जमाअत नागौरी तेलियान समिति, जोधपुर	ग्राम कंकाणी के खसरा संख्या 587 में से 5000 वर्गमीटर	आवासीय आरक्षित दर का 5 प्रतिशत
4.	मीणा विकास संस्थान, जोधपुर	ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 677 रकबा 167 बीघा 5 बिस्वा गैर मुमकिन भूमि में से 4000 वर्गमीटर	आवासीय आरक्षित दर का 5 प्रतिशत
5.	भील (नायक) समाज विकास समिति द्वारा भील (नायक)	ग्राम आंगणवा के खसरा नं 76 में से 2000 वर्गमीटर	आवासीय आरक्षित दर का 5 प्रतिशत
6.	भदवासिया विकास समिति संस्था (जटिया समाज)	ग्राम भदवासिया के खसरा संख्या 95/1 रकबा 258 गैर मुमकिन आबादी में से 2000 वर्गमीटर	आवासीय आरक्षित दर का 5 प्रतिशत

7.	मारवाड छीपा समाज वेलफेयर सोसायटी, जोधपुर	ग्राम चौखा खसरा संख्या 51 व 61 में 2000 वर्गमीटर	आवासीय आरक्षित दर का 5 प्रतिशत
8.	जाट समाज सेवा समिति, बनाड, जोधपुर	ग्राम नान्दडा खसरा नम्बर 73 में 5000 वर्गमीटर	आवासीय आरक्षित दर का 5 प्रतिशत
9.	श्री नर्बदेश्वर महादेव अखिल भारतीय माली (सैनी) सेवा सदन संस्थान, पुष्कर, जिला अजमेर	ग्राम गनाहेडा के खसरा नम्बर 2083/2605 रकबा 8.5 हैक्टेयर में से 6000 वर्गमीटर भूमि	आवासीय आरक्षित दर का 5 प्रतिशत
10.	अखिल भारतीय रैगर महासभा, बीकानेर	न्यास बीकानेर की स्वर्ण जयन्ती आवासीय योजना, बीकानेर में 15000 वर्गफुट	आवासीय आरक्षित दर का 5 प्रतिशत
11.	श्री सैन समाज, बीकानेर	न्यास बीकानेर की स्वर्ण जयन्ती आवासीय योजना, बीकानेर में 15000 वर्गफुट	आवासीय आरक्षित दर का 5 प्रतिशत
12.	फलोदी पोकरण प्रवासी समाज सेवा संस्थान	राजस्थान आवासन मण्डल की चौपासनी योजना जोधपुर के सैक्टर 17–ई में 700.34 वर्गमीटर	आवासीय आरक्षित दर का 5 प्रतिशत
13.	पंजाबी समाज जोधपुर	राजस्थान आवासन मण्डल की चौपासनी रोड़ हाउसिंग बोर्ड स्कीम सेक्टर–17 ई, जोधपुर में 1333.4 वर्गमीटर	आवासीय आरक्षित दर का 5 प्रतिशत

उपरोक्त निर्देशों की पालना में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपिः–

1. शासन उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को मंत्रिमण्डल की आज्ञा 261/2013 के संदर्भ में।
2. विशेषाधिकारी (एल), मुख्य मंत्री कार्यालय।
3. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय